कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन नं०-06432 - 232397, मो०-8987790441, ई-मेल : dfo-deoghar@gov.in

पत्रांक 821 देवघर, दिनांक 01.08.2025

सेवा में,

महाप्रबंधक,
एस॰पी॰ माईन्स, चितरा।

विषय : देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत ई॰सी॰एल॰ की एस॰पी॰ माईन्स खुली खदान परियोजना हेतु कुल 113.94 हे॰ वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : परिवेश 1.0 पोर्टल पर समर्पित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र के द्वारा ई॰सी॰एल॰ की एस॰पी॰ माईन्स खुली खदान परियोजना हेतु कुल 113.94 हे॰ का वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑनलाईन समर्पित किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव का कार्यालय अभिलेख/मानचित्र आदि से मिलान किया गया है तथा प्राप्त प्रस्ताव में निम्नांकित त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हुई है :-

1. संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में अवस्थित ग्रामों का ग्रामवार मौजा मानचित्र ऑनलाईन अप्राप्त है। सभी ग्रामों के मौजा मानचित्रों पर खनन क्षेत्र को अलग-अलग रंग (जंगल झाड़ी/अधिसूचित वनभूमि हेतु) से दर्शाते हुए मानचित्र समर्पित किया जाए।
2. परियोजना क्षेत्रान्तर्गत वैसे प्रत्येक ग्राम जिनमें वनभूमि अवस्थित हो, का डी॰जी॰पी॰एस॰ मानचित्र समर्पित किया जाए।
3. परियोजना अन्तर्गत अवस्थित जंगल झाड़ी एवं अन्य वनभूमि, जिनका अभिलेख राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संधारित किया जाता है, हेतु उपायुक्त, देवघर के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाए।
4. उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत वनाधिकार से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, समर्पित किया जाए।
5. पार्ट-1 के बिन्दू सं०-बी-1 में Details of Project already submitted in past में प्रस्ताव संख्या FP/JH/MIN/2296/2006, रकवा-3.48 हे॰ अंकित है। उक्त प्रस्ताव की विवरणी समर्पित किया जाए।
6. पोर्टल पर अपलोड किए गए पर्यावर्णीय स्वीकृति आदेश में वनभूमि का रकवा 155.60 हे॰ अंकित है, जो परियोजना क्षेत्रान्तर्गत सन्निहित वनभूमि के कुल क्षेत्रफल से भिन्न है, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
7. प्रस्ताव के साथ परियोजना का विस्तृत विवरणी नोट संलग्न नहीं है, जिसमें प्रभावित होने वाले ग्रामों, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों, रोजगार सृजन की विवरणी यथा अस्थायी रोजगार तथा स्थायी रोजगार आदि की विवरणी संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
8. स्वीकृत खनन योजना के साथ मानचित्र संलग्न नहीं है। स्वीकृत खनन योजना का मानचित्र समर्पित किया जाए, ताकि प्रतिवेदित हो सके कि स्वीकृत खनन योजना तथा प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है।

9. संपूर्ण परियोजना क्षेत्र का के॰एम॰एल॰ फाईल जिसमें Land use pattern के अनुरूप यथा खनन क्षेत्र, ओ॰बी॰ डम्प आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, समर्पित किया जाए, ताकि किसी भी समय खनन हेतु प्रयोग किये गये भूमि का जाँच किया जा सके। पूर्व में भी संपूर्ण परियोजना क्षेत्र का Detailed KML File समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था जो अद्यतन अप्राप्त है।

10. अपयोजित होने वाले वनभूमि का के॰एम॰एल॰ मानचित्र के अनुरूप नहीं है। खेसरावार के॰एम॰एल॰ तथा समेकित के॰एम॰एल॰ अपलोड किया जाए।

11. ग्राम सभा का संकल्प / सहमति संलग्न नहीं है।

12. वृक्षों की संयुक्त गणना सूची संलग्न नहीं है। (वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का सूची अलग–अलग समर्पित करें)

13. Minimum use of Forest Land Certificate संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाए।

14. परियोजनान्तर्गत अवस्थित कुल जंगल–झाड़ी एवं अन्य वनभूमि (जिनका अभिलेख राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संधारित किया जाता है) के क्षेत्रफल का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि तद्नुरूप क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दोगुणी क्षेत्रफल का अवकृष्ट वनभूमि वनरोपण हेतु उपलब्ध कराया जा सके।

15. पूर्व में स्वीकृत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (124.28 हे॰) की संक्षिप्त विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए।

16. CAT Plan/Soil and Moisture Conservation Plan/Wildlife Management Plan की शर्त्त अधिरोपित किये जाने की स्थिति में प्रयोक्ता संस्थान द्वारा ससमय राशि के भुगतान करने तथा अनुपालन किये जाने के संबंध में वचनबद्धता पत्र समर्पित किया जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन समर्पित किया जाए तथा प्रस्ताव की 10 हार्डकॉपी प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित किया जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

Abhishek
01.08.25

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर